

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 38ए/16

संस्थापन दिनांक:-27 / 03 / 14

फाईलिंग नं. 233504000192014

बेनीलाल पिता स्व. सद्दू जाति मेहरा
 उम्र 42 वर्ष, निवासी बोडखी,
 तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादी

वि रु द्ध

1. ब्रजलाल पिता स्व सद्दू जाति मेहरा उम्र 50 वर्ष
निवासी बोडखी, तहसील आमला, जिला बैतूल
 2. सुखनंदन पिता स्व सद्दू जाति मेहरा उम्र 48 वर्ष
निवासी बोडखी, तहसील आमला, जिला बैतूल
 3. बसंती नागले पति सुंदरलाल नागले जाति मेहरा उम्र 51 वर्ष
निवासी गोण्डू मडाई, पो. गोधना, तह. चिचोली, जिला बैतूल
 4. सकुन नागले पति स्व. नंदनकिशोर नागले जाति मेहरा उम्र 44 वर्ष
निवासी क्वा. नं. आरबीवन-33, रेलवे कालोनी
रामनगर, जिला बैतूल (म.प्र.)
-प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 30.11.2016 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा विवादित भूमि खसरा नंबर 388 रकबा 0.020 हे. स्थित ग्राम बोडखी तहसील आमला जिला बैतूल के 1/3 भाग के स्वत्वाधिकारी एवं उस पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने से निषेधित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त भूमि को आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा।

2 वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई-बहन हैं तथा विवादित भूमि उनकी पैतृक है। जो कि राजस्व अभिलेखों में संयुक्त शामिल होती दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक 03 बसंती एवं सकुन के द्वारा सहमति पत्र दिनांक 07.06.2007 के द्वारा विवादित भूमि पर से अपना हक त्याग दिया गया है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की माँ श्रीमती पूरभा जिनकी मृत्यु 14.01.2012 को हो चुकी है। उनके द्वारा भी वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में

सहमति दी गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 03, 04 एवं मॉ पूरभा के द्वारा सहमति दिए जाने के उपरांत वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के द्वारा विवादित भूमि का आपस में पंचों के समक्ष बंटवारा कर लिया गया। बंटवारा उपरांत वादी को विवादित भूमि में 1/3 भाग प्राप्त हुआ। वादी द्वारा बंटवारा उपरांत अपने हिस्से पर आई भूमि पर मकान निर्माण किया जा चुका है। परंतु जब वादी के द्वारा अपने मकान के उपर तृतीय मंजिल का निर्माण कार्य किया गया, तब प्रतिवादीगण निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने लगे। अतः वादी द्वारा विवादित भूमि के 1/3 भाग के स्वत्व घोषणा एवं विवादित भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने से निषेधित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया।

3 प्रकरण में प्रतिवादीगण पर सूचना की तामिली उपरांत भी उनके अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4 प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

1. क्या विवादित भूमि खसरा नंबर 388 रकबा 0.020 हे. स्थित ग्राम बोडखी तहसील आमला जिला बैतूल वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है ?
2. क्या उपर्युक्त विवादित भूमि का 1/3 भाग वादी को बंटवारे में प्राप्त हुआ ?
3. क्या विवादित भूमि के 1/3 भाग पर वादी द्वारा मकान निर्मित कर उस पर आधिपत्य है ?
4. क्या प्रतिवादीगण क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादी के हिस्से व आधिपत्य की भूमि पर निर्मित मकान के तृतीय मंजिल के निर्माण कार्य पर हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
5. सहायता एवं व्यय ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण

5 वादी द्वारा विवादित भूमि उनके पैतृक होने का अभिवचन किया गया है तथा इस संबंध में दस्तावेज किशतबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2013-14 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से विवादित भूमि खसरा नंबर 388 वादी

एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाली दर्ज होना प्रकट हो रहा है। वादी के द्वारा प्रकरण में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, जिससे यह पता चले कि विवादित भूमि उनकी पैतृक है। अर्थात् विवादित भूमि पर वादी के पिता एवं दादा के नाम पर दर्ज होने संबंध में कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। अतः विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व की होना प्रकट हो रही है परंतु प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित भूमि के पैतृक होने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

6 वादी द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 के द्वारा सहमति पत्र दिनांक 07.06.2007 के द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अंश त्याग दिया गया है। साथ ही वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की माँ श्रीमती पूरभा पति स्व. सद्दू के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पक्ष में सहमति दी गई। तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के द्वारा पंचों के समक्ष विवादित भूमि का आपस में 1/3 भाग का बंटवारा कर लिया गया।

7 वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 द्वारा अपना हक त्याग किए जाने के संबंध में सहमति पत्र दिनांक 07.06.2007 को अभिवचन किया गया है, परंतु उक्त सहमति पत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वादी द्वारा उसके एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के मध्य पंचों के समक्ष बंटवारा किए जाने उपरांत उसके हिस्से में 1/3 भाग आने का अभिवचन किया गया है, परंतु ऐसी कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि विवादित भूमि का बंटवारा होना माना जाए। साथ ही वादी के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह पता चले कि बंटवारा उपरांत विवादित भूमि का कौन सा भाग उसे प्राप्त हुआ। वादी द्वारा विवादित भूमि के उसके हक हिस्से में आए भाग की चतुर्सीमा का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कि यह पता चले कि विवादित भूमि का कौन सा विनिर्दिष्ट भाग उसे बंटवारा उपरांत प्राप्त हुआ। यद्यपि वादी के द्वारा विवादित मकान की फोटोग्राफ प्रदर्श पी-5 लगायत प्रदर्श पी-6 प्रस्तुत की गई है, परंतु उक्त फोटोग्राफ के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त फोटो विवादित भूमि पर वादी को उसके हक हिस्से में मिले भाग पर निर्मित मकान की हैं। प्रकरण में वादी के द्वारा दस्तावेज (प्रदर्श पी-1), किश्तबंदी खतौनी एवं (प्रदर्श पी-2) खसरा प्रस्तुत किए गए हैं जिस पर विवादित भूमि संयुक्त शामिलाली दर्ज है। वादी के द्वारा ना तो सहमति पत्र

दिनांक 07.06.2007 प्रस्तुत किया गया है, ना ही कोई ऐसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जिससे यह पता चले कि किस दिनांक को एवं किसके समक्ष विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के मध्य बंटवारा कर विवादित भूमि का विनिर्दिष्ट भाग वादी को प्राप्त हुआ। अतः साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि का 1/3 भाग वादी को बंटवारा उपरांत प्राप्त हुआ।

विचारणीय प्रश्न क्र. 03 एवं 04 का निराकरण

8 वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि बंटवारा उपरांत विवादित भूमि का उसे 1/3 भाग प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् उसके द्वारा अपने हिस्से में आए भाग पर मकान का निर्माण किया गया परंतु जब उसके द्वारा अपने मकान के तृतीय मंजिल का निर्माण कार्य किया गया, तब प्रतिवादीगण के द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लगा। वादी के द्वारा विवादित मकान के फोटोग्राफ प्रदर्श पी-4 लगायत 6 प्रस्तुत किए गए हैं तथा भवन निर्माण प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है परंतु उसमें प्रदर्श अंकित ना होने से निर्णय के दौरान न्यायालय द्वारा प्रदर्श प्री-7 अंकित कर उसे पढ़ा गया। उक्त भवन प्रमाण पत्र के अवलोकन से भवन सदू वल्द सादया के नाम पर होना प्रकट हो रहा है, जो कि वादी एवं प्रतिवादी के पिता हैं। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यह नहीं माना जा सकता कि विवादित मकान वादी द्वारा निर्मित किया गया है। साथ ही जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए हैं उससे भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि फोटोग्राफ में दर्शित मकान वादी के द्वारा उसे हक हिस्से पर प्राप्त भूमि पर निर्मित किया गया है।

9 प्रकरण में वादी के द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे यह प्रकट नहीं हो रहा है कि विवादित भूमि का कौन सा विनिर्दिष्ट भाग उसे हक हिस्से में प्राप्त हुआ, जिस पर उसके द्वारा मकान निर्माण किया गया। तब ऐसी स्थिति में वादी का विवादित भूमि के विनिर्दिष्ट 1/3 भाग पर आधिपत्य प्रमाणित नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में जबकि वादी का विवादित भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग पर आधिपत्य प्रमाणित नहीं है। अतः उसे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता नहीं दी जा सकती।

विचारणीय प्रश्न क्र. 05 का निराकरण

10 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह विवादित भूमि खसरा नंबर 388 रकबा 0.020 हे. का 1/3 भाग बंटवारे में प्राप्त करने उपरांत उसका एकमात्र स्वत्वाधिकारी है एवं विवादित भूमि के 1/3 भाग पर मकान निर्मित कर उसका आधिपत्य है तथा

प्रतिवादीगण उसके मकान निर्माण कार्य पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। फलतः वादी का दावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय का आदेश पारित किया जाता है :-

1. वादी का दावा निरस्त किया जाता है।
2. वादी अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।
3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो, खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञापित तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल